

41

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 पुनरीक्षण
गिअरनी - 5944/2018 | ग्वालियर | सीलिंग अधि

1. अमर सिंह पुत्र गंगा सिंह
2. गुलजार सिंह
3. मुख्तार सिंह
4. बलवीर सिंह
5. अजीत सिंह पुत्रगण अमर सिंह
6. मथुरा विधवा पत्नी सुन्दर सिंह
7. प्रताप सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
8. हरजिन्दर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
9. मंजीत सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
10. दीदार सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
11. बलवीन्दर कौर पत्नी करम सिंह
12. महेन्द्र कौर पत्नी भजन सिंह
13. रणजीत सिंह पुत्र बन्ता सिंह
14. जोगेन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह
15. मन्दीप सिंह पुत्र मुख्तार सिंह
16. निर्मल कौर पत्नी जगतार सिंह

निवासीगण ग्राम-घरसौदी,
तहसील-चिनौर, जिला-ग्वालियर

विरुद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर
जिला-ग्वालियर
2. ग्वालियर एग्रीकल्चर कम्पनी डबरा
द्वारा संचालक

मुकदमा क्रमांक 5944/2018
दिनांक 29-9-18
3-10-18
राजस्व

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल,
अधिम प्रति 1
दिनांक 29-09-18
डा. री. र. पा.
29-09-18



सक्षम अधिकारी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक
4/अ-90/बी-3/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20/09/2018 के विरुद्ध पुनरीक्षा
अंतर्गत धारा-42 म.प्र. कृषक खातो की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1960.



न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/5944/2018/ग्वालियर/सीलिंग

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से श्री एस0के0वाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री देवेन्द्र चौबे, शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलायेजाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किये जानेका निवेदन किया गया । विचारोपरांत निवेदन स्वीकार । प्रकरण आवेदक के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है ।</p> <p> मनोज गोयल</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	